128

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-521-दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-01-06 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 85/अपील/2002-03

.....

रामकृष्ण तिवारी तनय सीताराम तिवारी
निवासी- ग्राम कस्तरी पोस्ट कुलगवां
तहसील हुजूर जिला- रीवा (म.प्र.)

----------आवेदक

विरूद्ध

१- श्रीमती कलावती बेवा पत्नी रामनिहोर
२- रामसुख तनय रामनिहोर
३- रामविवेक तनय रामनिहोर
४- रामलखन तनय रामलला
५- रामकुमार तनय रामलला
६- राममिलन तनय रामलला
७- रामविशाल तनय रामलला
८- रामगोपाल तनय रामलला

----------अनावेदकगण

.....

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/4/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-06 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम टीकर स्थित वादग्रस्त भूमि क्रमांक 1528, 1529 पर कब्जा इन्द्राज हेतु संहिता की धारा 115-116 के अंतर्गत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार हुजूर के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार हुजूर द्वारा आदेश दिनांक 12-02-2001 से खसरा सूधार का आदेश पारित कर आवेदक का नाम दर्ज किया गया । अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25-11-02 से अनावेदकगण की अपील को स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 19-01-06 से अपील निरस्त की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी रामनिहोर, रामलला, रामकृपाल, रामकरण पिता रामदुलारे थे। वादग्रस्त भूमि पर अनावेदकगण का कभी कोई कब्जा नहीं था । आवेदक को उक्त भूमि बटवारे में कैसे प्राप्त हुई, इस संबंध में भी कोई दस्तावेज

अथवा प्रमाणअधनीस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। क्योंकि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115-116 में मात्र खसरा में हुई त्रुटी में सुधार करने का प्रावधान है न की नवीन प्रविष्टि करने का । चूँकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का स्वत्वधारी नहीं था, ऐसे में उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश विधिसंगत नहीं था । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा विधि के विपरीत आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करने की त्रुटी की है, जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता के प्रावधान के अनुसार ही विस्तृत विवेचना कर नायब तहसीलदार के त्रुटीपूर्ण आदेश को निरस्त किया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा उचित माना है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशमें कोई वैधानिक त्रुटी नजर नहीं आती ।

6/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-11-2002 एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,